Cops bust gang of traffickers, 4 arrested

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, JULY 28

The Delhi police arrested four accused along with one woman operating in Delhi-NCR. The arrested accused were identified as, Ravi (32) of Pali in Rajasthan, Rinki (20) of Ghazipur, UP, Rohit (22), resident of Hardoi, UP and Mukesh (25) resident of Rohtak Haryana.

The police said a minor has been sexually exploited by multiple persons and is undergoing counselling.

On June 30, a case of kidnapping of a girl aged 16 years was filed in Sultanpuri and investigation was taken up. During the investigation, it was revealed that the victim had eloped with one Abhishek (18). The police searched foe Abhishek, but he could not be traced.

On July 21, the victim contacted her mother and informed her that she is in Rohini. Her mother visited the place and brought her to the police station. She was medically examined and her statement was recorded where she stated that she had eloped with Abhishek. He took her to Haridwar and exploited her sexually. After spending four days together, they returned to Delhi. and stated on the Old Delhi Railway Station platform.

AMAR UJALA NEW DELHI JULY 29, 2018

नेपाली एजेंट का साथी गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

मुनिरका के फ्लैट से युवतियों को मुक्त कराने का मामला

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के मुनिरका इलाके से 16 नेपाली महिलाओं को मुक्त कराने के मामले में वसंत विहार पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथी को गिरफ्तार किया है। महिलाओं को दिल्ली में रखने, एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन आदि जगह छोड़ने की जिम्मेदारी इसी आरोपी की थी। ये आरोपी महिलाओं को गंतव्य तक छोड़ने के लिए दोगुना किराया वसूल करता था। मुख्य आरोपी लोपसंग उर्फ लेबसंग की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस यूपी समेत कई जगहों पर दबिश दे रही है।

दक्षिण-पश्चिमी जिला डीसीपी देवेंद्र आर्या के अनुसार दिल्ली महिला आयोग की शिकायत के बाद पुलिस ने 16 महिलाओं को मुनिरका से मुक्त कराया था। मुख्य आरोपी लोपसंग व उसके साथियों को पकड़ने के लिए आठ टीमें दबिश दे रही थीं। शुक्रवार रात को मुनिरका से ही पश्चिमी चंपारण, बिहार निवासी नौशाद (32) को पुलिस ने गिरफ्तार कर टैक्सी बरामद कर लिया है।

आरोपी ने बताया कि वह लोपसंग के कहने पर महिलाओं को एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर छोड़ने जाता था। वह मुनिरका में ही टैक्सी स्टेंड चलाने वाले राहुल से टैक्सी किराए पर लेता था। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि लोपसंग के गिरोह में कई सदस्य शामिल है। नौशाद के कब्जे से टैक्सी बरामद की गई है।

AMAR UJALA NEW DELHI JULY 29, 2018

मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ महिला समेत चार आरोपी काबू

16 साल की किशोरी को बेचकर किया गया शारीरिक शोषण

अमर उजाला ब्यूरो

पुलिस चकमा देने वाले चार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी

नई दिल्ली। सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह पर 16 साल की किशोरी का सौदा कर शारीरिक शोषण करने का आरोप है। पुलिस गिरोह में शामिल स्पा मालिक समेत चार लोगों की तलाश कर रही है।

जिला पुलिस उपायुक्त सेजू पी कुरुविला ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान लोनी गाजियाबाद निवासी रवि, गाजीपुर उत्तर प्रदेश निवासी रिंकी, हरदोई यूपी निवासी रोहित और रोहतक हरियाणा निवासी मुकेश के रूप में की गई है। 30 जून को परिजनों ने किशोरी को अगवा करने की शिकायत सुल्तानपुरी थाने में दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि किशोरी अभिषेक नाम के युवक के साथ गई है। पुलिस अभिषेक की तलाश कर रही थी। इसी दौरान 21 जुलाई को किशोरी ने अपनी मां को फोन कर बताया कि वह रोहिणी इलाके में है। मां उसे लेकर सुल्तानपुरी थाने लेकर पहुंची।

पीड़िता ने बताया कि अभिषेक उसे लेकर हरिद्वार ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। चार दिन बाद वह दिल्ली आ गए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रवि नामक युवक मिला। आरोपी ने अभिषेक को काम और ठिकाना दिलाने का आश्वासन देकर गाजियाबाद अपने घर ले आया। अगले दिन रवि अभिषेक को नौकरी दिलाने के लिए अपने साथ ले गया। शाम को रवि अकेले वापस आया और बताया कि अभिषेक अगले दिन आएगा। रात में रवि ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इस दौरान रवि ने अपनी पत्नी रिंकी को कहीं भेज दिया। अगले दिन रिंकी जब लौटी तो किशोरी ने उससे रवि की शिकायत की। लेकिन रिंकी ने उसकी बातों को अनसुना कर उसे खाने के लिए दिया, जिसे खाकर वह बेहोश हो गई। रवि के घर पहुंचे इंतेजार और उसकी पत्नी हिना उसे लेकर रोहिणी पहुंची। उनलोगों ने उसे रोहिणी में स्पा चलाने वाले अशोक गोयल को सौंप दिया। गोयल ने अपने सहयोगी रोहित और मुकेश के साथ मिलकर उसका शारीरिक शोषण किया और उसका सौदा करने लगे।

हिरासत में लेने के बाद नई कहानी सामने आई

पुलिस ने अभिषेक को पकड़ा तो उसने किशोरी को भगाकर ले जाने और शारीरिक संबंध की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि रवि उसे नौकरी का झांसा देकर गुरुग्राम ले गया और उसे वहां छोड़कर लापता हो गया। वहां से जब वह रवि के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि किशोरी अपने घर चली गई है। इस सूचना पर पुलिस ने रवि और रिंकी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने अशोक गोयल के दोनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अशोक गोयल, सहयोगी विक्की, इंतजार और उसकी पत्नी हिना की तलाश की जा रही है।

AMAR UJALA NEW DELHI JULY 29, 2018

मुनिरका और मजनूं का टीला में थे ठिकाने

16 नेपाली महिलाओं को मुक्त कराने का मामला

पुरुषोत्तम वर्मा

नई दिल्ली। मुनिरका से 16 नेपाली महिलाओं को मुक्त कराने के मामले में सामने आया है कि मानव तस्करी करने वाले इस गिरोह के सरगना ने दिल्ली में मुनिरका व मजनूं का टीला में ठिकाने बना रखे थे। वह नेपाली महिलाओं को इन्हीं ठिकानों पर रखता था। उसने मुनिरका वाला दो कमरे का मकान करीब छह महीने पहले 11 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया था। इन दो कमरों में ही 16 नेपाली महिलाओं को रखा जाता था।

दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फरार आरोपी लोपसंग ने शुरू के दो महीने तो किसी को किराये के मकान में नहीं रखा। इसके बाद वह नेपाली महिलाओं को यहां रखने लग गया था। उसने मकान मालिक महावीर को बता रखा था कि उसका टूर व ट्रेवल्स का काम है। जो लड़कियां बाहर से आती हैं, वह उनको दिल्ली में घुमाता है और फिर वापस भेज देता है। गिरफ्तार नौशाद से पूछताछ में पता चला है कि लोपसंग 50 नेपाली महिलाओं को कुवैत व इराक भिजवा चुका है। मुक्त कराई गई सभी नेपाली महिलाओं के पासपोर्ट लोपसंग के पास हैं। वह पहली बार इतनी संख्या में एक साथ नेपाली महिलाओं को विदेश भेज रहा था।

यूपी-नेपाल बॉर्डर सील दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से मदद मांगी

दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लोपसंग की आखिरी लोकेशन गोरखपुर में आई है। ऐसा लग रहा है कि आरोपी नेपाल भागने वाला है। वसंत विहार थाने से एक पुलिस टीम गोरखपुर रवाना कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से सहायता मांगी है और यूपी-नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लोपसंग नौशाद को फोन कर पुलिस की गतिविधियों की जानकारी ले रहा था कि उसे पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। आरोपी दिल्ली में कई लोगों के संपर्क में है। पुलिस को आशंका है कि गिरोह में काफी लोग हैं।

DAINIK HINDUSTAN NEW DELHI JULY 29, 2018

जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाई होगी

सख्ती

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

देश में मानव तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई बनाने पर विचार कर रही है। केंद्र ने देश के 270 जिलों में इस तरह की इकाई के लिए फंड दिया है। बाकी जिलों के लिए भी प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार मजबूत कानून बनाने के अलावा प्रशासनिक स्तर पर मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने और ऐसे मामलों की निगरानी के लिए बेहतर तंत्र की दिशा में काम हो रहा है। केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करके एजेंसियों को जवाबदेह व सतर्क बनाने की कवायद हो रही है। सीमा पार मानव तस्करी पर नकेल कसने के लिए भारत कई देशों से मजबूत सहयोग के लिए बातचीत कर रहा है। बीएसएफ और एसएसबी ने सीमावर्ती इलाकों में मानव तस्करी रोकने को लेकर विशेष अभियान चलाया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत तंत्र बनाया गया है।

2016 में 27 फीसदी मामले बढ़े

करीब 9104 बच्चे 2016 में मानव तस्करी का शिकार हुए। वर्ष 2015 की तुलना में करीब 27 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। करीब 27 हजार 994 महिलाओं और 23699 बच्चों को 2014 से 2016 के दौरान मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया गया।

दुनियाभर में 2.09 करोड़ लोग पीड़ित

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में 2.09 करोड़ लोग मानव तस्करी से पीड़ित हैं। इनमें से करीब 68 फीसदी को जबरन मजदूरी के काम में लगाया जाता है। इनमें करीब 26 फीसदी बच्चे होते हैं। करीब साढ़े पांच मिलियन बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। करीब 55 फीसदी महिलाएं और लड़कियां तस्करी का शिकार होती हैं। भारत में मानव तस्करी के जरिए व्यावसायिक यौन उत्पीड़न का शिकार होने के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आते हैं।

DAINIK HINDUSTAN NEW DELHI JULY 30, 2018

जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाई होगी

सख्ती

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

देश में मानव तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई बनाने पर विचार कर रही है। केंद्र ने देश के 270 जिलों में इस तरह की इकाई के लिए फंड दिया है। बाकी जिलों के लिए भी प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार मजबूत कानून बनाने के अलावा प्रशासनिक स्तर पर मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने और ऐसे मामलों की निगरानी के लिए बेहतर तंत्र की दिशा में काम हो रहा है। केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करके एजेंसियों को जवाबदेह व सतर्क बनाने की कवायद हो रही है। सीमा पार मानव तस्करी पर नकेल कसने के लिए भारत कई देशों से मजबूत सहयोग के लिए बातचीत कर रहा है। बीएसएफ और एसएसबी ने सीमावर्ती इलाकों में मानव तस्करी रोकने को लेकर विशेष अभियान चलाया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत तंत्र बनाया गया है।

2016 में 27 फीसदी मामले बढ़े

करीब 9104 बच्चे 2016 में मानव तस्करी का शिकार हुए। वर्ष 2015 की तुलना में करीब 27 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। करीब 27 हजार 994 महिलाओं और 23699 बच्चों को 2014 से 2016 के दौरान मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया गया।

दुनियाभर में 2.09 करोड़ लोग पीड़ित

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में 2.09 करोड़ लोग मानव तस्करी से पीड़ित हैं। इनमें से करीब 68 फीसदी को जबरन मजदूरी के काम में लगाया जाता है। इनमें करीब 26 फीसदी बच्चे होते हैं। करीब साढ़े पांच मिलियन बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं। करीब 55 फीसदी महिलाएं और लड़कियां तस्करी का शिकार होती हैं। भारत में मानव तस्करी के जरिए व्यावसायिक यौन उत्पीड़न का शिकार होने के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आते हैं।

DAINIK HINDUSTAN NEW DELHI JULY 30, 2018

मानव तस्करी को रोकें

S 4

असुरक्षा, यौन शोषण और तनख्वाह न दिए जाने के आधार पर जून 2005 में नेपाल सरकार ने नेपाली औरतों के खाड़ी देशों में बतौर घरेलू कामगार काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन कई नेपाली महिलाएं वहां पहुंचने के लिए गैर-कानूनी रास्ता अपनाती हैं और बेईमान एजेंसियां उन्हें ठगती रहती हैं। नेपाल व भारत की धूर्त एजेंसियां फर्जी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' बनाकर उन्हें मध्य-पूर्व के देशों में पहुंचा देती हैं। नेपाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है कि कितनी शादी-शुदा स्त्रियां व कुंवारी लड़कियां खाड़ी के देशों में गैर-कानूनी तरीके से भेजी गई हैं। नेपाल और भारत के बीच लचीले बॉर्डर का फायदा उठाते हुए दलाल इन महिलाओं को भारत ले जाते हैं और फिर वहां से उन्हें खाड़ी के देशों में भेज देते हैं। दोनों देशों के धूर्त एजेंटों ने एक गठजोड़ कायम कर लिया है और वे नेपाल के गांवों की भोली-भाली औरतों को खाड़ी के देशों में अच्छी पगार और रहने की जगह दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फांसने के लिए सक्रिय हैं। देखने में यह भी आया है कि इन एजेंटों का शिकार बनी औरतों ने अपने पति को बताए बिना अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया। बीते बुधवार को दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी दिल्ली के मुनिरका इलाके से 16 नेपाली औरतों को एजेंटों के चंगुल से आजाद कराया। माना जा रहा है कि उन्हें दुबई और कुवैत ले जाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की मदद से आयोग ने उन्हें मुक्त कराया है। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है कि 'इन लड़कियों को नेपाल से भारत लाया गया था और उन्हें खाड़ी के देश भेजा जा रहा था।' उन्होंने यह भी बताया कि तस्करों ने उनका पासपोर्ट उनसे ले लिया था और उन्हें एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा था। मालीवाल ने बिल्कुल सही कहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। हमारी सरकार को भी इसके बारे में जागरूकता अभियान चलाने और स्थानीय स्तर पर ऐसी औरतों के मुफीद रोजगार पैदा करने की जरूरत है।

The Himalayan

द हिमालयन टाइम्स, नेपाल

DAINIK HINDUSTAN NEW DELHI JULY 30, 2018

मदद का झांसा देकर किशोरी को बेचा

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

शर्मनाक 54

- रेलवे स्टेशन पर मिला युवक पीड़िता को अपने साथ ले गया था
- उसने रेप करने के बाद स्पा मालिक को बेच दिया

दिल्ली पुलिस ने किशोरी को देह व्यापार के लिए बेचने के आरोप में शुक्रवार को गाजियाबाद से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में फरार बाकी चार आरोपियों की तलाश कर रही है।

डीसीपी सेजू पी कुरुविला ने बताया, 30 जून को एक महिला ने सुल्तानपुरी थाने में नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में मालूम हुआ कि किशोरी अभिषेक नाम के युवक संग घर छोड़कर चली गई थी। 21 जुलाई को किशोरी ने मां को फोन कर बताया कि वह रोहिणी में है। इसके बाद मां किशोरी को वहां से ले आई।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अभिषेक के साथ हरिद्वार गई थी। कुछ दिनों बाद वे वापस दिल्ली आ गए और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर रहने लगे। तभी दोनों को रवि नाम का युवक मिला जो उन्हें गाजियाबाद स्थित अपने घर ले गया।

वह नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभिषेक को गुरुग्राम ले गया और वहीं छोड़कर भाग आया। इसके बाद रवि ने किशोरी से रेप किया। फिर उसने अपनी पत्नी रिंकी, दोस्त इंतजार और हिना की सहायता से किशोरी को रोहिणी स्थित स्पा के मालिक अशोक गोयल को बेच दिया। स्पा में अशोक ने उसका रेप किया और अपने सहयोगियों रोहित एवं मुकेश की सहायता से उससे देह व्यापार कराने लगे। शुक्रवार को पुलिस ने रवि, रिंकी, इंतजार व हिना को गिरफ्तार कर लिया।

NAVBHARAT TIMES NEW DELHI JULY 30, 2018

संभावित कानून से इस घृणित अपराध पर रोक लगने की उम्मीद बढ़ी

दूर होगा मानव तस्करी का कलंक

के.सी. त्यागी

लोकसभा ने बीते गुरुवार को मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पारित कर दिया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार इस विधेयक में भारतीय दंड संहिता की मौजूदा कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है ताकि इससे जुड़े कई और भी अपराधों से सख्ती से निपटा जा सके। अब यह राज्यसभा में पेश होने के बाद कानून का रूप ले सकेगा। कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस कानून की मांग काफी समय से कर रही थीं। इस तरह देर से ही सही, मानव तस्करी को बढ़ावा देने वालों तथा इसमें शामिल सभी धंधेबाजों पर शिकंजा कसने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो रहा है। इस विधेयक में सरकार ने तस्करी के सभी पहलुओं को नए सिरे से परिभाषित किया है। नई परिभाषा के मुताबिक तस्करी के गंभीर रूपों में जबरन मजदूरी, भीख मांगना, समय से पहले जवान करने के लिए कोई इंजेक्शन या हॉर्मोन देना, विवाह अथवा विवाह के लिए छल, या विवाह के बाद महिलाओं और बच्चों की तस्करी शामिल है।

शोषण का सिलसिला

पीड़ितों, गवाहों तथा शिकायतकर्ताओं की पहचान गुप्त रख दोषियों की पहचान करना, समयबद्ध अदालती सुनवाई और पीड़ितों को संज्ञान की तिथि से एक वर्ष के अंदर वापस भेजना इस विधेयक का मजबूत पक्ष है। इसके अलावा बचाए गए लोगों की त्वरित सुरक्षा व पुनर्वास, शारीरिक-मानसिक आघात से निपटने हेतु 30 दिनों के अंदर अंतरिम सहायता का प्रावधान तथा अभियोग पत्र दाखिल करने की तिथि से 60 दिनों के अंदर उचित राहत की सिफारिश की गई है। आपराधिक कार्रवाई में लेट-लतीफी तथा मुकदमे के फैसले पीड़ितों की पुनर्वास व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे। पहली बार पुनर्वास कोष की स्थापना से पीड़ितों की मानसिक-शारीरिक देखभाल सुनिश्चित करना, मुकदमों की तेज सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत की स्थापना, दोषी को न्यूनतम 10 वर्षों के सश्रम कारावास से आजीवन कारावास समेत न्यूनतम एक लाख रुपये के दंड की व्यवस्था और कुर्की-जब्ती जैसे कठोर दंड की सिफारिश के साथ यह विधेयक मानव तस्करी मुक्त भारत के लिए वरदान हो सकता है।

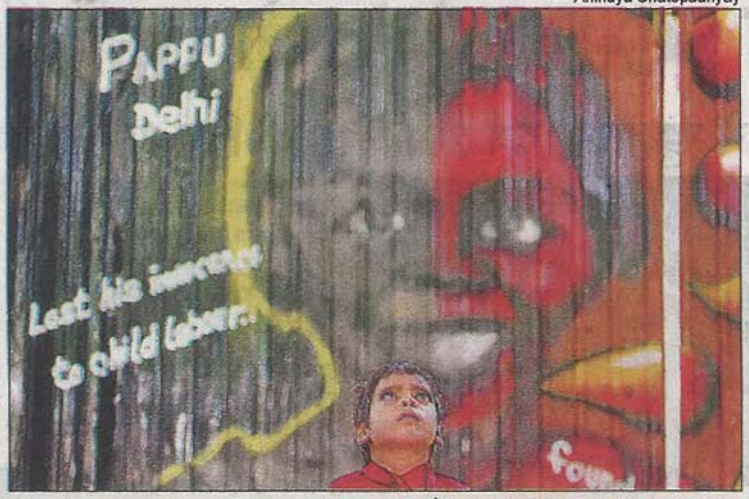

Anindya Chatopadhyay

> भारत समेत विश्व के लगभग सभी देश मानव तस्करी, बाल श्रम व बंधुआ मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों का दंश झेलने को मजबूर हैं

भारत समेत विश्व के लगभग सभी देश मानव तस्करी, बाल श्रम व बंधुआ मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों का दंश झेलने को मजबूर हुए हैं, जिससे बुनियादी मानवाधिकारों का निरंतर उल्लंघन भी होता रहा है। खासकर दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में इस अपराध की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं और आज यह वैश्विक चिंता का बड़ा विषय बन चुका है। यौन शोषण, देह व्यापार, सस्ती व बंधुआ मजदूरी के लिए तस्करों के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से आज कोई शहर अछूता नहीं है। बच्चों के अपहरण की घटनाएं भी घटने की बजाय बढ़ी हैं। गृह मंत्रालय की 2017-18 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में लगभग 55 हजार बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई। इस संख्या में 2015 की तुलना में 30 फीसदी की बढ़ोतरी चिंता का विषय है। वर्ष 2015 के 6877 मानव तस्करी की तुलना में वर्ष 2016 में 8132 लोग इसके शिकार बने। इस दौरान सिर्फ पश्चिम बंगाल से 3579 लोगों की तस्करी की रिपोर्ट दर्ज है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, असम समेत दिल्ली आदि राज्यों से भी ट्रैफिकिंग की शिकायतें दर्ज होती रही हैं जिसमें 60 फीसदी से अधिक हिस्सा नाबालिगों का है।

2016 के दौरान प्रतिदिन औसतन 63 लोगों को इसके चंगुल से छुड़ाए जाने की सरकारी रिपोर्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के तहत मानव तस्करी, बेगार तथा जबरन कराए गए श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन अपराध है व विधि के अनुसार दंडनीय है। अफसोस कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद बच्चों का शोषण बेरोक-टोक जारी है। दुनिया भर में लगभग 21 करोड़ बच्चे विभिन्न प्रकार की बाल मजदूरी कर रहे हैं जिसमें अधिकांश दक्षिण एशियाई और पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बच्चे हैं। भारत में ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 6 करोड़ है। नोबेल पुरस्कार से देश को गौरवान्वित करने वाले कैलाश सत्यार्थी के अथक प्रयासों से बाल श्रम व तस्करी जैसे मुद्दे ज्यादा मुखर हुए हैं। इनके द्वारा संचालित संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' (बीबीए) मानव तस्करी के खिलाफ वर्षों से आंदोलनरत रहा है। वर्ष 2007 में कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में दक्षिण एशियाई एंटी ट्रैफिकिंग मार्च द्वारा 5000 किमी की दूरी तय कर मानव तस्करी के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई गई। इनके प्रयासों से ही पहली बार तस्करी परिभाषित हो पाई थी। मौजूदा प्रस्तावना में भी इनकी भागीदारी तथा जमीनी अनुभवों के योगदान से विधेयक को सख्त बनाने का प्रयास किया गया है।

दूर होगी शंका

प्रस्तावित बिल से जुड़ी एक याचिका में सवाल उठाया गया कि कानून बन जाने की स्थिति में मर्जी से यौन व्यापार में शामिल वयस्कों का क्या होगा? इस स्थिति में उन्हें जबरन काम से हटाए जाने की आशंका बनती है। इस बाबत अभियान चलाने वालों की स्पष्ट राय है कि इस कानून के क्रियान्वयन से सिर्फ तस्करी पीड़ित लोगों को बाहर निकाला जाएगा। जो यौनकर्मी अपनी मर्जी से शामिल हैं वे इस कानून के प्रावधानों से बाहर के विषय होंगे। सरकार को उनके हितों की रक्षा का दायित्व भी लेना होगा। सरकार बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ, सबका साथ-सबका विकास का नारा बुलंद करती है। उसी भाव के तहत उसे पीड़ित बच्चों और महिलाओं की समस्या का समाधान करना होगा और इस संभावित कानून को सख्ती से लागू करना होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सरकार का सहयोग करना होगा। इस विधेयक को लेकर अभी कुछ लोगों की आपत्तियां भी हैं, लेकिन इसके कानून का रूप लेने के साथ ही उनकी शंका का निवारण हो जाएगा। आशा है, जल्द ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा।

(लेखक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

RASHTRIYA SAHARA NEW DELHI JULY 29, 2018

मानव तस्करी के आरोप में महिला समेत तीन गिरफ्तार

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

थाना सुल्तानपुरी पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसकी पुष्टि करते हुए बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सेजू पी कुरूविला ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लोनी निवासी रवि, गाजीपुर निवासी रिंकी, हरदोई निवासी रोहित व रोहतक निवासी मुकेश के रूप में की गई है।

पूछताछ व छानबीन में पता चला कि आरोपी गैंग ने एक 16 साल की किशोरी का शारीरिक शोषण कर उसे बेचने का प्रयास किया है। अभी इस मामले में शामिल एक स्पा मालिक समेत चार अन्य लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि गत 30 जून को पीड़ित किशोरी के परिजनों ने अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत सुल्तानपुरी थाने में की। जिसके बाद से ही पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी।

ME OF PUBLICATION
ASHTRIYA SAHARA

PLACE OF PUBLICATION
NEW DELHI

DATE OF PUBLICATION
JULY 31, 2018

पसरते अपराध पर लगाम कब?

मानव तस्करी

अभिषेक कुमार

दुनिया में मानव तस्करी को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है पर इसमें हैरानी यह है कि 155 देशों में से 62 देशों में आज तक 'मानव तस्करी' के मामले में एक को भी अपराधी नहीं ठहराया गया। शायद यही वजह है कि इधर हाल में जब दिल्ली के मुनीरिका इलाके में दिल्ली महिला आयोग ने 16 नेपाली लड़कियों को दलालों के चंगुल से छुड़ाया गया, तो भी इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं बंधी कि कोई सरकार और प्रशासन भविष्य में इस समस्या की पुख्ता रोकथाम की व्यवस्था कर पाएगा। इस मामले में स्थिति यह है कि नेपाल से तस्करी कर लाई गई लड़कियों को मुनीरिका की जिस जगह से छुड़ाया गया, वह पुलिस थाने से महज 500 मीटर दूर स्थित है, अरसे से नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को वहां लाया जा रहा था, लेकिन उसकी भनक पुलिस को नहीं लगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि इन्हीं के साथ आई सात लड़कियों को पहले ही कुवैत और इराक भेजा जा चुका है। मानव तस्करी की कई विडबंनाएं हैं। जैसे में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस के मुताबिक हर साल करीब 25 लाख लोग इसके शिकार होते हैं। इनमें से 80 फीसद महिलाएं और बच्चे होते हैं। इस बारे में यूनिसेफ के भी कुछ आंकड़े हैं।

यूनिसेफ का कहना है कि हर साल करीब 12 लाख बच्चों (ज्यादातर लड़कियों) को मानव तस्करी में लगे रैकेट के जरिए एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। कई देशों में तस्करी कर लाए गए लोगों को शरणार्थी के तौर पर देखा जाता है और चूंकि वहां पुख्ता एंटी ट्रैफिकिंग कानून नहीं है या उनके दूसरे देशों से सूचना बांटने और कार्रवाई करने के करार नहीं हैं, इसलिए ऐसे लोगों के भविष्य को लेकर लापरवाही बरती जाती है। ऐसे में मानव तस्करी में लगे लोगों को इस अवैध धंधे में फायदा ज्यादा और खतरा कम होता है। सवाल है कि ह्युमन ट्रैफिकिंग में लाए गए लोगों का आखिर क्या होता है? तो इसका अहम जवाब है यौन शोषण। गरीब, गृहयुद्ध में फंसे और उपेक्षित देशों से जबरन

या धोखे से लाई गई लड़कियों में से करीब 80 फीसद को इसी धंधे में धकेला जाता है। यूरोपीय देश और खाड़ी के कुवैत-इराक जैसे देशों में ले जाई गई लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जाता है। यूरोप इसके लिए एक पसंदीदा ठिकाना है क्योंकि वहां देह व्यापार में अच्छी कमाई होती है। इस समस्या से पीड़ित होने वालों में एशियाई देश सबसे आगे है क्योंकि गरीबी और भुखमरी से बचने के लिए कई बार लोग खुद ही अपने परिवारों की लड़कियों को दलालों के हाथों सौंप देते हैं।

एक बार इस दलदल में फंसने के बाद महिलाओं को वहां से निकाल पाना कतई आसान नहीं होता है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि देशों के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली मानव तस्करी अंतराष्ट्रीय तस्करी से कई गुना ज्यादा होती है। इसमें संदेह नहीं है कि मानव तस्करी के ज्यादातर मामलों में यह जानना काफी मुश्किल होता है कि मजदूरी या छोटी-मोटी नौकरी के नाम पर एक देश से दूसरे देश में अवैध रास्तों और तरीकों से धकेले गए लोग स्वेच्छा से ऐसा करते हैं या उन्हें बहला-फुसलाकर इसके लिए राजी कराया जाता है। लेकिन समस्या की विकरालता को देखते हुए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप्रवासन के नाम पर हो रहे गोरखधंधे पर रोक लगाई जाए और आप्रवास के पूरे मामले को कानूनी दायरों में लाया जाए?

खास तौर पर महिलाओं की दुर्दशा के संबंध में ऐसा करने की तत्काल जरूरत है। मानव अंगों की सप्लाई, जबरन मजदूरी, भीख मंगवाने, शादी के लिए छल करने और शादी के बांद महिलाओं और उनके बच्चों की तस्करी करने जैसे जैसे अपराध मानव तस्करी के रूप में हो रहे हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब लड़कियों को वक्त से पहले जवान करने के वास्ते उन्हें हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिए गए ताकि देह व्यापार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इंसान चूंकि अच्छे जीवन की खोज के लालच से बाहर नहीं जा पाता है, लिहाजा मानव तस्करी की पूरी तरह रोकथाम कर पाना किसी भी देश या सरकार के लिए आसान नहीं है। लेकिन अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाकर और वीजा-पासपोर्ट की वैधताओं को सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाएं बनाकर इस पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। मानव तस्करी की सूचनाओं को सरकारें और प्रशासन गंभीरता से लें और उन पर कार्रवाई करें तो ही इस दिशा में कुछ बदलाव संभव है। सरहदें पार करने के रास्ते वैध हों और पुलिस-प्रशासन तस्करी की हर मुमकिन कोशिश को रोकें, तो हालात बदले जा सकते हैं।

NAME OF PUBLICATION	PLACE OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
RASHTRIYA SAHARA	NEW DELHI	JULY 31, 2018

भारत में हर घंटे खोते हैं सात बच्चे

नई दिल्ली। मानव तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर गैर लाभकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन ने डिजिटल एवं सोशल मीडिया एजेंसी वॉटकंसल्ट और स्नैपडील के साथ साझेदारी कर 'किड्सनॉटफॉरसेल' अभियान शुरू किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर घंटे सात बच्चे खोते हैं इनमें से आधे कभी घर नहीं लौट पाते हैं। 2016 और 2017 के बीच, लगभग एक लाख बच्चे गुमशुदा हुए। मानव तस्करी दुनिया में तीसरा सर्वाधिक फैला हुआ अपराध है। 'किड्सनॉटफॉरसेल' अभियान का मकसद भारत में बाल तस्करी की समस्या पर जागरूकता बढ़ाना है।

NAME OF PUBLICATION	PLACE OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
THE STATESMAN	NEW DELHI	JULY 30, 2018

No one should go through what we did: Victims on World Day Against Trafficking

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, 29 JULY

A mother at just 17, Seema(all names changed to protect identity)) went back to her village in Jharkhand with her two-month-old baby last week, five years after she had been sold to a family in Gurgaon where she was raped by a co-domestic worker.

As another World Day Against Trafficking in Persons comes around on Monday, Seema's life story is a stark reminder of the millions of people who are trafficked each year, sold into prostitution, forced labour or domestic work, either forcefully or on the pretext of a better life. Activists say even a small hint from the public could play a very big role in busting human trafficking rackets, appealing to people to stay alert and report if they see anything unusual. Trafficking victims like Seema are often hiding in plain sight, working in upscale homes but overlooked by all those who visit them.

Her sexual assault last year was preceded by years of servitude in the corporate suburb of Gurgaon with 19-hour workdays and barely enough food for the young girl who once dreamt of becoming a painter.

Working hours were from 4am to 11pm every day and I was made to do all household chores. I was the same age as the children in the family. While they would be preparing for their exams, I would be scrubbing floors, Seema said.

She was given food left over in the plates of her employers. If the plates were empty, she would sleep hungry. She found her peace in painting on newspapers but her world was shattered again when she was raped by another domestic worker. I did not understand what was happening to me when my stomach started bloating. My employers took me to a doctor who said I was pregnant. They tried to get the child aborted but it was too late, Seema said. Seema gave birth to a baby girl in May this year and has been in severe depression since then. A case has been registered against the accused but Seema's life will never be the same again, said anti-trafficking activist Ashok Rawat. All I want is that no other person goes through the trauma I did," said Seema. But that is a wish that is not about to be fulfilled anytime soon. According to the National Crime Records Bureau (NCRB), almost 20,000 women and children were victims of human trafficking in India in 2016, a rise of nearly 25 per cent compared to 2015. Srimoyee is two years older than Seema but her story of exploitation and servitude is the same. Tired of being a farm worker in her village in West Bengal's Asansol disrict, she wanted to become a model but got trapped in the trafficking ring and was forced to become a sex worker in Delhi. She was rescued during a raid but says she is too ashamed to return home.

NAME OF PUBLICATION
THE TIMES OF INDIA

PLACE OF PUBLICATION
NEW DELHI

DATE OF PUBLICATION
JULY 30, 2018

Why I pushed for passage of the anti-trafficking bill

Maneka Gandhi

Maneka Gandhi

On July 26, Lok Sabha passed the landmark Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018. There was an intensive debate on a wide range of issues around the subject of trafficking. I welcomed the debate wholeheartedly since it is representative of the priority we as members of Parliament have placed on the issue of protection of vulnerable persons, especially women and children.

Every day, women and children are bought and sold in our villages and cities, as part of what is now the largest organised crime in the world — the trafficking of persons. As per the National Crime Records Bureau, in 2016, a total of 15,379 victims were trafficked for exploitative purposes, out of which 10,150 were women and 6,345 were children. And 63,407 children went missing during the year. These numbers will be much higher in reality as many cases go unreported.

With eight children going missing every hour, and one woman being trafficked every hour, we are morally and constitutionally bound to act with utmost urgency. For the first time, the Trafficking Bill responds to this urgent need with a comprehensive solution through a robust, responsive and accountable institutional framework of prevention, protection and rehabilitation. The bill seeks to combat trafficking at all levels through a centralised body to oversee issues of interstate and international trafficking of persons, a survivor-centric protection mechanism and the choice of long-term rehabilitation to adults that is not contingent upon the status of prosecution.

TOI EXCLUSIVE

It also makes way for economic deterrence that targets trafficking as an organised crime by attachment and forfeiture of property and freezing of bank account that are used for the purpose of trafficking. Importantly, the bill also establishes accountability of officers under the Act by criminalising an omission of duty of their behalf.

These provisions have been carefully harmonised with all existing and linked provisions of law. The bill has been drafted after in-depth study and extensive consultation with a range of stakeholders over a period of three years. We received hundreds of suggestions from civil society, representatives of sex workers as well as victims of trafficking, police organisations, state governments, labour unions. We also received valuable guidance from Members of Parliament and all this was incorporated to strengthen to provisions of the bill.

I would like to clear the air around some of the concerns that are being expressed, which are primarily arising from absence of clear understanding of the provisions of the bill. Firstly, there is an apprehension that the bill will criminalise voluntary sex work. This is completely false. On the contrary, the bill provides safeguards to voluntary sex workers against persecution and prosecution, while giving them the option to approach the magistrate for long term institutional, psychological, social and economic support if she wishes to discontinue. I urge those representing the rights of sex workers to recognise the value of this choice in the lives of the people they work so hard to defend.

Secondly, there are concerns that the bill will raise conflict with existing set of legislations further confusing and complicating the delivery of justice. I would like to reiterate here, that the bill states that it is in addition to and not in derogation of any existing laws for the time being in force. The bill will tie together various legislations through a single system of institutional framework. This will bring accountability and convergence within the overall trafficking response mechanism.

Thirdly, many valuable suggestions regarding strengthening of enforcement of the law have been provided. I will ensure that each of the suggestions will be suitably incorporated in the rules. Rules are the instruments through which the objectives and provisions of the Act get implemented. We have already started the process of drafting these rules and will again be taking inputs and guidance from stakeholders.

(The writer is minister for women and child development)

NAME OF PUBLICATION	PLACE OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
THE TIMES OF INDIA	NEW DELHI	JULY 30, 2018

Rape, trafficking of teen: 8 held

All eight accused involved in the elopement of a teenager and her subsequent rape and confinement were arrested, including her boyfriend and two traffickers, police said. Accused Abhishek, Ravi, Rinki, Rohit, Mukesh, Intezar, Heena and Ashok Goyal were arrested from Delhi, Gurgaon and Ghaziabad. They had sexually assaulted her, confined the survivor and later sold her to a spa owner. PTI